

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: अधिसूचना ::


पटना-15, दिनांक 12.01.16

संख्या-7/स्था01-9-03/2010 (खण्ड-II)सा0प्र0.459./महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-74221 दिनांक 26.12.2015 में निहित अनुशंसा के आलोक में श्रीमती पद्मा कुमारी चौबे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत गठित निगरानी न्यायालय, मुजफ्फरपुर के पीठासीन पदाधिकारी (विशेष न्यायाधीश) के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।

2. संख्या-7/स्था01-9-03/2010 (खण्ड-II)सा0प्र0.460./महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-74221 दिनांक 26.12.2015 में निहित अनुशंसा के आलोक में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर को बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अंतर्गत गठित निगरानी न्यायालय, मुजफ्फरपुर के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।

3. संख्या-7/स्था01-9-03/2010 (खण्ड-II)सा0प्र0.461./महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-74221 दिनांक 26.12.2015 में निहित अनुशंसा के आलोक में श्री आलोक राज, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर को बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अंतर्गत गठित निगरानी न्यायालय, भागलपुर के पीठासीन पदाधिकारी (विशेष न्यायाधीश) के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


(अरुण प्रकाश)

सरकार के संयुक्त सचिव।


ज्ञापांक-7/स्था01-9-03/2010(खण्ड-II)सा0प्र0.461./ पटना-15, दिनांक 12.01.16.

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) सी0डी0 के साथ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था01-9-03/2010(खण्ड-II)सा0प्र0.461./ पटना-15, दिनांक 12.01.16.

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-74221 दिनांक 26.12.2015 के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/निगरानी विभाग, बिहार, पटना/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर/भागलपुर/श्रीमती पद्मा कुमारी चौबे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर एवं श्री आलोक राज, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान आप्त सचिव एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।